राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकः प0 21(7)चिस्वा/2/2019 जयपुर,दिनांकः 3.10.2019

परिपत्र

निदेशक(जनस्वा.) की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अभिशंषा पर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों के प्री – पीजी परीक्षा में भाग लेने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्री–पीजी नीट परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले/चयन होने वाले चिकित्सकों को पीजी करने हेतु कार्यमुक्त नही किया जावेगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु चिकित्सको को आवेदन पत्र निदेशालय की ई–मेल आईडी rajpgcell@gmail.com पर किया जावेगा। जिसे निदेशालय द्वारा सम्बन्धित चिकित्सक की निजी पत्रावली पर 3 दिवस में राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
3. प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सकों को पीजी/उच्च अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किये जावेगें तथा प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण हो जाने पर ही पीजी/उच्च अध्ययन हेतु आवेदन किया जा सकेगा। प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सकों के आवेदनों को निदेशालय स्तर से ही निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत चिकित्सकों को 3 वर्ष की सेवा से पूर्व प्री–पीजी/नीट हेतु अनुमति नही दी जावेगी। 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पीजी हेतु जाने वाले ऐसे चिकित्सको से आरएसआर नियम–121ए के तहत बन्ध पत्र प्राप्त किया जावेगा तथा बन्ध पत्र के साथ दो स्थाई कर्मचारियों की जमानत ली जावेगी।
5. अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के पश्चात आरएसआर नियम–121ए के तहत निर्धारित राज्य सेवा किये बिना सेवा से त्याग पत्र देने/सेवा पर नही लौटने वाले/सेवानिवृत कर दिये जाने/हो जाने वाले चिकित्सकों से APPENDIX XVIII के अनुसार बन्ध पत्र की राशि वसूल किये जाने के साथ ही राजस्थान मेडिकल कौन्सिल में रजिस्ट्रेशन को निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जायेगी।

6. अध्ययन अवकाश हेतु APPENDIX XVIII के अनुसार 80 लाख रूपये का बन्ध पत्र प्राप्त किया जायेगा।

निदेशालय/समस्त नियंत्रणाधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी। उक्त दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होगें।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सभी सम्बन्धित महाविद्यालय।
5. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. सभी संबधित नियंत्रण अधिकारी– द्वारा विभागीय वेबसाईट।
10. विभाग की वेबसाइट http://www.rajswasthya.nic.in के माध्यम से सूचनार्थ।
11. कम्प्यूटर सैल/आदेश पत्रावली।

30/9/19
(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव